न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 109 / 2021

1 विद्याधर पुत्र कुरड़ाराम
2 प्रभाती देवी पत्नी भगवानाराम
3 विकास पुत्र भगवानाराम
4 सुनिल पुत्र भगवानाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ढाका की ढाणी तन ग्राम टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस / अप्रार्थीगण नम्बर 1, 7, 9, 10

बनाम

1 श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री भगवान सिंह जाति जाट निवासी ग्राम छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्ट / प्रार्थीया

2 देबुराम पुत्र कुरड़ाराम
3 नरसाराम पुत्र कुरड़ाराम
4 श्रीमती रजी पुत्री कुरड़ाराम
5 श्रीमती मोहनी पुत्री कुरड़ाराम
6 श्रीमती बरजी पुत्री कुरड़ाराम
7 अनिल पुत्र भगवानाराम
8 सुमन पुत्री भगवानाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ढाका की ढाणी तन ग्राम टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
9 सुगनी देवी पत्नी सीताराम जाति जाट निवासी ग्राम चिड़ासन तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.। मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधिगणः–
9/1 विद्याधर पुत्र सीताराम
9/2 रोहिताश पुत्र सीताराम
9/3 करतार सिंह पुत्र सीताराम
9/4 जले सिंह पुत्र सीताराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

9/5 अन्तर सिंह पुत्र सीताराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम चिड़ासन तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
9/6 बलकेश पुत्री सीताराम पत्नी सतपाल पुनिया जाति जाट हाल निवासी ग्राम ठोठी पोस्ट गादली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस/अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6, 8, 11 व 12

प्रथम अपील अ. सेक्शन 225 आर.टी.एक्ट 1955
विरूद्ध आदेश दिनांकित 14.09.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं बमुकदमा उनवानी प्रार्थना पत्र श्रीमती शान्ति देवी बनाम विद्याधर वगै. अन्तर्गत सेक्शन 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
मु.नं. 07/2019

उपस्थिति :
1. श्री महिपाल कपुरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र निर्वाण, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 22.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 07/2019 में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र 251 ए बाबत भूमि खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

नम्बर 1742/625 वाके ग्राम छावसरी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचित नहीं किया गया है। मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता प्रदान करने पर अपीलांट के मकानात को तोड़ना होगा। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए विचारण न्यायालय ने कोई आदेश पारित नहीं किये है। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते के संदर्भ में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये रजिस्ट्री सम्यक तामील हुई है। सम्यक तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट संख्या 2 प्रभाती की विचारण न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थिति रही है। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अपीलांट संख्या 2 द्वारा विचारण न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदुपरांत अनुपस्थित रहने पर अपीलांट संख्या 2 के विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय में विधिक प्रकिया अनुसार आईएलआर की मौका रिपोर्ट प्राप्त की एवं निकटतम रास्ता प्रस्तावित होने पर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट संख्या 2 की उपस्थिति के बावजूद अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय में अपीलांट की जरिये रजिस्ट्री सम्यक तामील हुई है। सम्यक तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट संख्या 2 प्रभाती की विचारण न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थिति रही है। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अपीलांट संख्या 2 द्वारा विचारण न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदुपरांत अनुपस्थित रहने पर अपीलांट संख्या 2 के विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय में विधिक प्रकिया अनुसार आईएलआर की मौका रिपोर्ट प्राप्त की एवं निकटतम रास्ता प्रस्तावित होने पर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट संख्या 2 की उपस्थिति के बावजूद अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर